## समाचार-प्रकाशनार्थ:-

वधायक सभागृह में आज लगेगी कोरोना वैक्सीन
18 वर्ष से अधक आयु के सभी नागरिकों को लगेगी वैक्सीन
रतलाम 23 जून। रतलाम नगर में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन कये
जाने हेतु 24 जून गुरूवार को बरबड़ स्थित वधायक सभागृह में
वैक्सीनेशन का मेगा कैम्प आयोजित कया गया है जिसमें 18 वर्ष से
अधक आयु के समस्त नागरिकों को प्रातः 9 बजे से कोरोना की वैक्सीन
निःशुल्क लगाई जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क 18 वर्ष से अधक आयु के ऐसे नागरिक जिन्होंने कोरोना का पहला टीका नहीं लगवाया है वे बरबड़ रोड स्थित वधायक सभागृह में आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाये।

निगम आयुक्त व एसडीएम द्वारा वैक्सीनेशन सेंटरो का निरीक्षण जागरूकता रथ के माध्यम से नागरिकों से वैक्सीन लगवाने हेतु कया जागरूक

दुपहिया वाहनों पर मैं वैक्सीनेटेड हूँं के लगाये स्टीकर रतलाम 23 जून। रतलाम नगर में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन कये जाने हेतु नगर में बनाये गये 26 वैक्सीनेशन सेन्टरों की व्यवस्थाओं का जायजा निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने एसडीएम श्री अभषेक गेहलोत के साथ लया व टीकाकरण केन्द्रों पर सोशल डस्टें संग बनाए रखने के लए निर्दे शत कया।

प्रातः 9 बजे से ही नगर के सभी 26 वैक्सीनेशन सेंटरों पर अस्पताल का स्टाफ अपनी वैक्सीन लेकर पहंच चुके थेए उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया एवैसे वैसे लोग अपने अपने घरों से निकलकर अपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे अपना वैक्सीनेशन करवाया।

टीकाकरण महाअ भयान के तहत अधक से अधक नागरिक अपना वैक्सीनेशन करवाये इस हेतु नगर निगम द्वारा तैयार कये गये जागरूकता रथ (बग्गी) से शहर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को वैक्सीन लगवाने हेतु जागरूक कया। जागरूकता रथ (बग्गी) के माध्यम से जागरूकता संदेश दिये जा रहे थे वहीं बच्चो ने भी वैक्सीनेशन के महत्व को दर्शाया।

त्रिपो लया गेट क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री झारिया ने दो पहिया वाहनों के चालकों का वैक्सीनेशन सर्टि फकेट चेक कर उनके वाहनों पर ष्मै वैक्सीनेटेड ह्ॅं' ' के स्टीकर लगाये ता क अन्य नागरिक भी वैक्सीनेश हेत् जागरूक हो।

उक्त अवसरों पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए सटी मैनेजर श्री नितिन तिवारीए श्री कपील मारोठियाए झोन प्रभारी श्री वनय चौहान आदि उपस्थित थे।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने कये व्यापक प्रबंध

रतलाम 23 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभा वत परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे व भन्न वभागों के अधकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद कया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत् जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित कया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षितिग्रस्त पुलयाओं को चिन्हित कर रेडयम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालयों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालयों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण वभाग एवं कर्मशाला वभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत् गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री वशाल भटनागर मों0नं0 9300885504ए ईश्वर नगर वद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मों0 नं0 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री वजय अग्रवाल मों0 नं0 9907454456ए अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश संह सेंगर मों0 नं0 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मों0 नं0 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भ मों0 नं0 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मों0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा. वद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मों0 नं0 9644000433 को नियुक्त कया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री वकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त कये गये कर्मचारियों के सहयोग से समु चत व्यवस्था स्निश्चित् करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वतरण के लये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लये पम्प आदि की व्यवस्था कये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समु चत निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के वनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के व भन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नालेना लयों की वर्षा पूर्व समु चत सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की निय मत रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अ धकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश

हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधत को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्था पत कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घन्टे की शफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले ना लयों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नालेना लयों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर वद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधतों को दिये।

हैल्पर वकास-गोवर्धन को सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी

रतलाम 23 जून। वार्ड क्रमांक 15 के कचरा संग्रहण वाहन के हैल्पर वकास पता गोवर्धन द्वारा 10 जून से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना पत्र जारी कया गया।

राजीव गांधी स वक सेन्टर के साथ त्रिपो लया गेट पर चल रहा है दीनदयाल रसोई केन्द्र

रतलाम 23 जून। नगर निगम द्वारा राजीव गांधी स वक सेन्टर के साथ त्रिपो लया गेट पर संचा लत दीनदयाल रसोई योजना केन्द्र भी 18 जून शुक्रवार से पुनः प्रारंभ कया गया है जिसमें हितग्राही 10 रूपये में भोजन कर सकते है।

ज्ञातव्य है क नगर निगम द्वारा राजीव गांधी स वक सेन्टरए त्रिपो लया गेट व डाँ० अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड पर दीनदयाल रसोई केन्द्र संचा लत कये जा रहे थे कन्तु कोरोना संक्रमण दर बढ़ने पर त्रिपो लया गेट व डाँ० अम्बेडकर मांग लक भवन पोलोग्राउण्ड के रसोई केन्द्रों को बंद कर दिया गया था सर्फ राजीव गांधी स वक सेन्टर के रसोई केन्द्र को चालू रखा गया था। कोरोना संक्रमण कम होने पर त्रिपो लया गेट के रसोई केन्द्र को नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों से अपील की जाती है क वे निर्धारित समय प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे के मध्य त्रिपो लया गेट दीनदयाल रसोई केन्द्र पर उपस्थित होकर निर्धारित दर पर भोजन करें।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 23 जून । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 23 जून को 8 दुकानदारों पर जुर्माना कया गया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा दारा संहए कृष्णपाल संहए अनूप शर्माए निहालए फकरूद्धीनए यादवजी राम मंदिरए ससोदिया जीए पुखराज जाटए ह्सैन जी अलकापुरीए शवपाल बाजना बस स्टैण्ड द्वारा गंदगी करने पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकांए द्कानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. ७०००८४८४५६ए पवन झांझोट मो.नं. ७०००१२८८१२ए आकाष षन्दे मो.नं. ९४२४०७५३९३ए ७७२४९८१७३६ मनोज झांझोट मो.नं. ६२६८४४९११०ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

आयुष्मान कार्ड वार्डवार कॉमन सेन्टरों पर निःशुल्क बनाये जा रहे है

2236 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 23 जून । आयुष्मान भारत ष्विनरामयम'' योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के पात्र हितग्राहियों के निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य नगर निगम द्वारा 5 से 22 जून तक वार्डों के कॉमन स र्वस सेन्टरों पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में वार्ड वार नियुक्त अधकारी एवं कर्मचारियों द्वारा कया जा रहा है। कार्ड बनाने का कार्य 5 जून को 67ए 6 जून को 208ए 7 जून को 155ए 9 जून को 261ए 11 जून को 164ए 12 जून को 84ए 13 जून को 112ए 14 जून को 222ए 15 जून को 284ए 16 जून को 192ए 17 जून को 57ए 18 जून को 104ए 19 जून को 90ए 21 जून को 105ए 22 जून को 75ए 23 जून को 56 हितग्राहियों के कार्ड बनाये गये इस तरह 18 दिनों में 2236 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जा चुके है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम द्वारा आयुष्मान भारत ष्वीरामयम'' योजना अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड वशेष अभयान चलाकर योजना अन्तर्गत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड समय-सीमा में बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को नोडल अधकारी नियुक्त कया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्डवार नगर निगम कर्मचारीए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताए कॉमन स र्वस सेन्टर के प्रोवाईडर के दलो का गठन कया है तथा कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम के उपयंत्रीए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए आंगनवाड़ी सुपरवाईजरए को पाबंद कया गया तथा आयुष्मान कार्ड बनाने की संपूर्ण कार्यवाही हेतु स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह को नोडल अ धकारी नियुक्त कया गया है।

वार्डवार गठित दलों को निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया है क रतलाम नगर में युद्ध स्तर पर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाना है इस हेतु हितग्राही से कसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लया जावेए पात्र हितग्राहियों और उनके परिवार सदस्यों का पंजीयन कये जाने हेतु आधार कार्ड व समग्र आईडी दस्तावेज के रूप में लये जावें।

973 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 23 जून । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 23 जून तक शहर के वभन्न क्षेत्रों से 973 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की वभन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभयान के तहत 23 जून को बाजना बस स्टैण्डए सागोद रोडए गौशाला रोड आदि क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलों को अभयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमित के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500% वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए०पी० संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथकपृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत
कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा
जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता
तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री
झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे
प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका
है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही रतलाम 23 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डी की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समुचत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डी में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार ∕ज.सं. व. १हेमन्त ∕23™6™2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.